न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः सी0 एल0 शर्मा, आर.ए.एस.)

दावा सं0–22 / 2018

प्रविष्टि दिनांक– 08.03.2018

विमल कुमार पुत्र श्री बद्रीलाल जाति महावर निवासी ग्राम बहनोली तह0 बौली जिला सावईमाधोपुर राज0

वादी

बनाम

1. प्रभु पुत्र सांवल्या जाति बैरवा निवासी बी0एस0एन0एल0टावर के पास मालवीय नगर सवाई माधोपुर रोड टोंक राज0
2. मोहनलाल पुत्र श्रीरामदेवा जाति बैरवा निवासी पीली तलाई वार्ड नं0 19 टोंक राज0
3. शिवजी लाल पुत्र नारायण लाल जाति बलाई निवासी ग्राम निरबाना तह0 व जिला टोंक
4. डालचन्द पुत्र स्व0 रोडी पत्नि किशन लाल जाति बैरवा निवासी मोती बाग मोड, धन्नातलाई टोंक जिला टोंक राज0
5. गोर्वधन पुत्र स्व0 रोडी पत्नि किशन लाल जाति बैरवा निवासी मोती बाग मोड, धन्नातलाई टोंक जिला टोंक राज0
6. पूरण पुत्र पुत्र स्व0 रोडी पत्नि किशन लाल जाति बैरवा निवासी मोती बाग मोड, धन्नातलाई टोंक जिला टोंक राज0
7. मालती पुत्री स्व0 रोडी पत्नि किशन लाल जाति बैरवा निवासी मोती बाग मोड, धन्नातलाई टोंक जिला टोंक राज0
8. मीरा पुत्री स्व0 रोडी पत्नि किशन लाल जाति बैरवा निवासी मोती बाग मोड, धन्नातलाई टोंक जिला टोंक राज0
9. आशा पुत्री स्व0 रोडी पत्नि किशन लाल जाति बैरवा निवासी मोती बाग मोड, धन्नातलाई टोंक जिला टोंक राज0
10. कमलेश पुत्री स्व0 रोडी पत्नि किशन लाल जाति बैरवा निवासी मोती बाग मोड, धन्नातलाई टोंक जिला टोंक राज0
11. श्रीमान तह0 टोंक, कार्यालय तह0 टोंक राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री मिर्जा खलीकुल्ला बैग–वकील वादी
श्री उमाशंकर मीणा–वकील प्रतिवादीगण

निर्णय

दावा–बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक : ....

वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि ख0 नं0 6440/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाकें कस्बा टोंक शर्की में स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 11/30 हाल जमाबंदी में अंकित है तथा शेष रकबा प्रतिवादीगण 1 ता 3 व प्रतिवादीगण 4 ता 10 की माता स्व0 रोडी देवी के नाम अंकित है। सभी सहकाश्तकार अपने अपने हिस्से पर काबिज है तथा रोडी का स्वर्गवास हो चुका है। रोडी पुत्री सावंल्या पत्नि किशनलाल के वारिसानों का विवरण निम्न प्रकार है : – तीन पुत्र–डालचन्द, गोर्वधन व पूरण एवं तीन पुत्रीयां–मालती, मीरा, आशा व कमलेश,

उक्त खसरा नंबर मे आपसी सहमति से समस्त खातेदारों ने मौखिक रूप से बटवारा कर रखा है तथा वादी का हिस्सा जो वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शे में अंग्रेजी अक्षर ए0 बी0 सी0 डी0 ई0 एफ0 से दर्शाया हुआ है जो अराजी ख0 नं0 6642 से अडवां अर्थात 6440/1 के पुर्व दिशा की और कब्जा तथा वादी से अडवां ही प्रतिवादी नं0 3 शिवजीलाल का कब्जा काश्त है। वादी ने अपनें कब्जे काश्त की भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये बड़ी मेहनत एवं रूपया खर्च किया है तथा अनावश्यक उगाये पेड़ पौधों को साफ करवाया है जिसमें

Scanned by CamScanner

वादी का काफी पैसा खर्च हुआ है। उक्त आराजी का मौखिक बटवारा होनें के पश्चात प्रतिवादी नं0 1 ता 2 तथा प्रतिवादी नं0 4 लगायत 10 की माता ने उक्त भूमि में कुछ प्लाट भी क्रय कर रखे है जिसमें रिहायशी मकान भी बने हुए है। चूंकि आराजी ख0नं0 6440/1 का विधिवत् तकासमा नही हुआ है और ना ही ट्रेस शीट में तरमीम हुई है। जिसकी वजह से आये दिन मौके पर झगड़े फसाद प्रतिवादीगण उत्पन्न करते है तथा वादी के कब्जे की भूमि मे मदाखलत व मजाहमत करते है इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है यदि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगें तो वादी को अपार एवं अकथनीय क्षति भोगना पड़ेगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में किया जाना संभव नही होगा तथा व्यर्थ की मुकदमेबाजी बड़ेगी इसलिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। बिनाय दावा आज से 20–25 दिन पूर्व वादी कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा जबरन वादी को भूमि से बेदखल करने एवं खुले रूप से धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है जो आज भी निरन्तर जारी है। श्रीमान तह0 माहोदय उक्त भूमि के लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाये गये हैं। यह दावा अ0 धारा 53, 88, 188, रा0टि0एक्ट के अन्तर्गत अन्दर मियाद निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है। पक्षकारान का निवास स्थान तथा वादग्रस्त भूमि श्रीमान के क्षैत्राधिकार मे स्थित होने से उक्त वाद की सुनवाई का माननीय न्यायालय हाजा को श्रवणधिकार एवं क्षैत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थना है कि दावा बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित फरमायी जावे कि आराजी ख0नं0 6440/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाके कस्बा टोंक शर्की का तकासमा कर वादी का हिस्सा 11/30 का बटवारा मौके के कब्जे व प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाये गये अक्षर ए0बी0सी0डी0ई0एफ0 के अनुसार आराजी ख0नं0 6642 से अड़वां अर्थात 6440/1 के पूर्व दिशा का भाग अलग राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जाकर लटठाशीट में भी तरमीम करायी जावे। वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से मदाखलत व मजाहमत नही करे ना ही जरिये एजेंट नोकर आदि से करावे तथा जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर, प्रतिवादीगण को तलब किया गया। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के पक्ष मे साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नकल जमाबंदी संवत 2071–73, प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

प्रतिवादी संख्या–3 ने जरिये वकील जवाब दावा पेश किया। जवाब में मुख्य रूप से अपना हिस्से अलग अंकन किये जाने का निवेदन किया। अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। वकील उभय पक्ष की बहस सुनकर एंव साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन करने के बाद वाद वादी तकासमा के हद तक स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 6440/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम टोंक शर्की का पक्षकारों के मध्य राजस्व रिकार्ड के अनुसार बराबर–बराबर हिस्से बंटवारा करने हेतु प्राथमिक डिकी किया जाना उचित होगा।

आदेश

फलतः वाद वादी तकासमा के हद तक स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 6440/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम टोंक शर्की का पक्षकारों के मध्य राजस्व रिकार्ड के अनुसार बराबर–बराबर हिस्से बंटवारा करने हेतु वाद वादी **प्राथमिक डिकी** किया जाता है तथा तहसीलदार, टोंक को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड अनुसार भूमि की किस्म अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर, उक्त आराजियात का तकासमा कर, तकासमा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस दो–दो प्रतियो मे आगामी तारिख पेशी से पूर्व इस न्यायालय मे भिजवाने की सुनिश्चितता करे।

(सी0 एल0 शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

निर्णय आज **दिनांक** .... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, टोंक**

मुकाम **टोंक** व अलजाम **सी0एल0 शर्मा, आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित**

उनवान

विमल कुमार पुत्र श्री बद्रीलाल जाति महावर निवासी ग्राम बहनोली तह0 बौली जिला सवाईमाधोपुर राज0

वादी

बनाम

1. प्रभु पुत्र सांवल्या जाति बैरवा निवासी बी0एस0एन0एल0टावर के पास मालवीय नगर सवाई माधोपुर रोड टोंक राज0
2. मोहनलाल पुत्र श्रीरामदेवा जाति बैरवा निवासी पीली तलाई वार्ड नं0 19 टोंक राज0
3. शिवजी लाल पुत्र नारायण लाल जाति बलाई निवासी ग्राम निरबाना तह0 व जिला टोंक
4. डालचन्द पुत्र स्व0 रोडी पत्नि किशन लाल जाति बैरवा निवासी मोती बाग मोड, धन्नातलाई टोंक जिला टोंक राज0
5. गोर्वधन पुत्र स्व0 रोडी पत्नि किशन लाल जाति बैरवा निवासी मोती बाग मोड, धन्नातलाई टोंक जिला टोंक राज0
6. पूरण पुत्र पुत्र स्व0 रोडी पत्नि किशन लाल जाति बैरवा निवासी मोती बाग मोड, धन्नातलाई टोंक जिला टोंक राज0
7. मालती पुत्री स्व0 रोडी पत्नि किशन लाल जाति बैरवा निवासी मोती बाग मोड, धन्नातलाई टोंक जिला टोंक राज0
8. मीरा पुत्री स्व0 रोडी पत्नि किशन लाल जाति बैरवा निवासी मोती बाग मोड, धन्नातलाई टोंक जिला टोंक राज0
9. आशा पुत्री स्व0 रोडी पत्नि किशन लाल जाति बैरवा निवासी मोती बाग मोड, धन्नातलाईटोंक जिला टोंक राज0
10. कमलेश पुत्री स्व0 रोडी पत्नि किशन लाल जाति बैरवा निवासी मोती बाग मोड, धन्नातलाई टोंक जिला टोंक राज0
11. श्रीमान तह0 टोंक, कार्यालय तह0 टोंक राज0

प्रतिवादीगण

दावा–बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

दावा नं0 22/2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री जारी जाती है कि

वाद वादी तकासमा के हद तक स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 6440/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम टोंक शर्की का पक्षकारों के मध्य राजस्व रिकार्ड के अनुसार बराबर–बराबर हिस्से बंटवारा करने हेतु वाद वादी प्राथमिक डिकी किया जाता है तथा तहसीलदार, टोंक को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड अनुसार भूमि की किस्म अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर, उक्त आराजियात का तकासमा कर, तकासमा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस दो–दो प्रतियो मे आगामी तारिख पेशी से पूर्व इस न्यायालय मे भिजवाने की सुनिश्चितता करे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी किया गया।

(सी0 एल0 शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीशान			मिजान		

नोटः–इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, टोंक**

मुकाम **टोंक** व अलजाम **जगदीश आर्य, आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित**

प्रकरण संख्या– 22/2018

उनवान

विमल कुमार पुत्र बद्रीलाल जाति महावर निवासी ग्राम बहनोली तहसील बोंली जिला सवाईमाधोपुर

वादीगण

बनाम

1. प्रभू पुत्र सांवल्या जाति बैरवा निवासी बी.एस.एन.एल. टावर के पास मालवीय नगर सवाईमाधोपुर रोड टोंक
2. मोहनलाल पुत्र रामदेवा जाति बैरवा निवासी पीली तलाई वार्ड नं0 19 तहसील व जिला टोंक
3. शिवजीलाल पुत्र नारायण लाल जाति बलाई निवासी ग्राम निरबाना तहसील व जिला टोंक
4. डालचन्द पुत्र स्व0 रोडी पत्नी स्व0किशनलाल जाति बैरवा निवासी मोतीबाग मोड धन्नातलाई टोंक
5. गोर्वधन पुत्र स्व0 रोडी पत्नी स्व0 किशनलाल जाति बैरवा निवासी मोतीबाग मोड धन्नातलाई टोंक
6. पूरण पुत्र स्व0 रोडी पत्नी स्व0 किशनलाल जाति बैरवा निवासी मोतीबाग मोड धन्नातलाई टोंक
7. मालती पुत्री स्व0 रोडी पत्नी स्व0 किशनलाल जाति बैरवा निवासी मोतीबाग मोड धन्नातलाई टोंक
8. मीरा पुत्री स्व0 रोडी पत्नी स्व0 किशनलाल जाति बैरवा निवासी मोतीबाग मोड धन्नातलाई टोंक
9. आशा पुत्री, स्व0 रोडी पत्नी स्व0 किशनलाल जाति बैरवा निवासी मोतीबाग मोड धन्नातलाई टोंक
10. कमलेश पुत्री स्व0 रोडी पत्नी स्व0 किशनलाल जाति बैरवा निवासी मोतीबाग मोड धन्नातलाई टोंक
11. तहसीलदार टोंक

प्रतिवादीगण

दावा बाबत– तकासमा आराजीयात

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **उपखण्ड अधिकारी, टोंक** व हाजरी **वकील वादीगण** मिनजामिन मुद्दई रूबरू **वकील प्रतिवादीगण** मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि

दावा वादीगण तहसीलदार टोंक से प्राप्त मुताबिक पी.डी. रिपोर्ट, अंतिम डिक्री किया जाता है। पक्षकारों के मध्य संलग्न स्टाम्प अनुसार भूमि रहेगी।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14/8/2019 को जारी किया गया।

(जगदीश आर्य)

उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मोहर

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज०)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	100	00	स्टाम्प अर्जी दावा	100	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक			मीज़ान		
मीज़ान					

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

RAJASTHAN AS 852290

वाद संख्या 22/2018 उनवानी – विमलकुमार बनाम प्रभू वगेराह

मुताबिक पी.डी. रिपोर्ट दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। पक्षकारो के खातो मे निम्नानुसार मे रहेगी।

वाके कस्बा टोंक शर्की, पटवार मण्डल कस्बा टोंक शर्की, तहसील टोंक, जिला टोंक

जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 1290 (रकबा बीघा, बिस्वा में)

नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म
विमलकुमार पुत्र बद्रीलाल जाति महावर नि. ग्राम बहनोली तह. बोली जिला सवाईमाधोपुर खातेदार	6440/3	0.19	माल–2
योग	किता–1	**0.19**	
शिवजीलाल पुत्र नारायण बलाई सा0 निरबाना तह व जिला टोंक हि0 10/33, मोहनलाल पुत्र रामदेवा सा0 पीली तलाई वार्ड नं. 19 टोंक हि0 2/33, प्रभू पुत्र सांवल्या बैरवा सा0 बीएसएनएल टॉवर के पास,मालवीय नगर सवाईमाधोपुर रोड, टोंक, डालचन्द, गोवर्धन, पूरण पि. किशनलाल(माता रोडी) मालती, आशा, मीरा, कमलेश पि0 किशनलाल(माता रोडी), अकबाम बैरवा सा0 मोती बागरोड धन्नातलाई, टोंक हि0 21/33 सा0 टोंक खातेदार	6440/1	1.13	माल......... .... –2
योग	किता–1	**3-07**	

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी,टोंक

Scanned by CamScanner